रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 2010/आश्विन 28, 1932
No. 585] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2010/ASVINA 28, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 849(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, धारा 266ख और धारा 266ङ के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम 2006, (संशोधन) 2010 है ।

2. ये नियम 5 दिसंबर, 2010 को प्रवृत होंगे ।

2. कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 में,—

(i) प्ररूप डीआईएन-1 की घोषणा में क्रम संख्यांक 14 के नीचे, निम्नलिखित घोषणाएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"*मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मुझे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 203, धारा 274 और धारा 388ङ सहित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अवरूद्ध नहीं किया गया है/निरर्हित नहीं किया गया है/हटाया गया है ।

*मैं यह और पुष्टि करता हूं कि मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है" ।

(ii) प्ररूप डीआईएन-3 में, सत्यापन के अधीन, निम्नलिखित सत्यापन जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"यह सत्यापित किया जाता है कि नियुक्त किया गया (किए गए) निदेशक (निदेशकों) ने, जिसकी (जिनकी) विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, कंपनी को यह घोषणा की है कि उसे (उन्हें) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 203, धारा 274 और 388ङ. सहित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अवरूद्ध नहीं किया गया है/निरर्हित नहीं किया गया है/हटाया नहीं गया है ।

यह भी पुष्टि की जाती है कि नियुक्त किया गया (किए गए) निदेशक ने, जिसकी (जिनकी) विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, कम्पनी को यह घोषणा की है कि उसे (उन्हें) किसी आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है" ।

[फा. सं. 1/06/2010 सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. संख्यांक 649(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 265(अ), तारीख 29 मार्च, 2007 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2010

G.S.R. 849(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642

read with Sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Director Identification Number) Rules 2006, (Amendment), 2010.

(2) These rules shall come into force on the 5th day of December, 2010.

2. In the Companies (Director Identification Number) Rules 2006,—

(i) in Form DIN-1, in the declaration, at the bottom of serial number 14, the following declarations shall be inserted namely :—

"*I also confirm that I am not restrained/ disqualified/removed of, for being appointed as Director of a company under the provisions of the Companies Act, 1956 including Sections 203, 274 and 388E of the said Act.

* I further confirm that I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court".

(ii) in Form DIN-3, under Verification, the following Verifications shall be added namely :—

"It is hereby confirmed that the appointed Director(s) whose particulars are given above, has given declaration to the company that he/ she is not restrained/disqualified/removed of, for being appointed as Director of a company under the provisions of the Companies Act, 1956 including Sections 203, 274 and 388E of the said Act.

It is also confirmed that the appointed Director(s) whose particulars are given above, has given a declaration to the company that he/she has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court".

[F. No. 1/06/2010 CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 649(E), dated the 19th October, 2006 and were last amended *vide* number G.S.R. 265(E), dated 29th March, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.